न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 2/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/2

अपीलाण्ट :— सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री मुन्नालाल, जाति ओसवाल जैन (लोढ़ा) निवासी 44, सोजतिया बास पाली, तहसील एवं जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. दीपक मेवाड़ा पुत्र श्री पप्पसा मेवाड़ा, जाति कलाल मेवाड़ा, निवासी 482, कैलाश अपार्टमेण्ट, चौथा माला, सरदारपुरा सी रोड़ सरदारपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जोधपुर, तहसील एवं जिला जोधपुर (राज.)
2. सुशील कुमार मुन्दड़ा श्री राधेश्याम मुन्दड़ा, जाति माहेश्वरी निवासी 59 जय नगर रामदेव रोड़ पाली तहसील एवं जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना—पत्र दिनांक 17.02.2026
एवं
राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत राम मकवाना
रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 23.03.2026

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3495 दिनांक 09.07.2021 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित वक्त बहस उपस्थित। रेस्पो. संख्या 02 को जारी

सम्मन तामील होने के बावजूद न्याायालय समय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी वकालतन/असालतन अनुपस्थित। प्राथमिक आपत्ति दिनांक 17.02.2026 पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपनी प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.02.2026 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश/नामान्तरकरण से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। जैर नामान्तरकरण से अपीलाण्ट का हक–हिस्सा खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं हुए है अर्थात् अपीलाण्ट का हक–हिस्सा कम नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने जिस वाद–पत्र, स्थगन आदेश एवं अवमानना प्रकरण को आधार बनाकर जैर अपील पेश की गई है, वे सभी प्रकरण सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज हो चुके है। ऐसी स्थित में जैर अपील निष्फल हो चुकी है एवं रेस्पो. संख्या 01 ने अपने कथनों के समर्थन में सिविल न्यायालय के वाद संख्या 37/2015 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2024, अवमानना प्रकरण संख्या 40/2016 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2016 की प्रति एवं 2013(2) DNJ 413 (SC), 2011 DNJ (SC) 1036 (B)(C) न्यायिक नजीर प्रस्तुत की।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति दिनांक 17.02.2026 पर की गई बहस के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील सक्षम सिविल न्यायालय के वाद में स्थगन आदेश प्रचलित रहते हुए जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जो माननीय सिविल न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के श्रेणी में आता है एवं किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय के वाद में स्थगन आदेश प्रचलित रहते हुए जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो अविधिक होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 DNJ (SC) 561 न्यायिक नजीर प्रस्तुत की।

जिला कलेक्टर, पाली

जैर प्रकरण में रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति दिनांक 17.02.2026 विधिक प्रकृति की है जिसे पहले सुना जाना लाजमी था। जिसमें अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 का प्रमुख उज्र यह है कि अपीलाण्ट ने जिस वाद–पत्र, स्थगन आदेश एवं अवमानना प्रकरण को आधार बनाकर जैर अपील पेश की गई है, वे सभी प्रकरण सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज हो चुके है, जिससे जैर अपील infructuous होने से काबिले खारिज है। विपक्षी अधिवक्ता अपीलाण्ट का प्रमुख कथन यह है कि जैर नामान्तरकरण, सक्षम सिविल न्याायालय में प्रचलित स्थगन आदेश के विरूद्ध स्वीकृत किया गया है, जो माननीय सिविल न्यायालय के आदेशों की अवहेलना में स्वीकृत किया गया है, जो अविधिक होने से काबिले खारिज है।

समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलबध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर अपीलाण्ट की अपील का प्रमुख आधार यह था कि विवादित जैर आराजी के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय

द्वारा पारित स्थगन आदेश प्रभावी था, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्रवाई विधि विरूद्ध है। तथापि, अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संबंधित मूल वाद का निस्तारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा कर दिया गया है तथा उक्त वाद का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में पारित हुआ है। फलस्वरूप, उक्त वाद में पारित सभी अन्तरिम आदेश, जिसमें स्थगन आदेश भी सम्मिलित है, स्वतः समाप्त हो चुके है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रकरण भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्थगन आदेश के उल्लंघन का कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। यह स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि जब मूल वाद का अन्तिम निर्णय हो जाता है, तब उस वाद के अन्तर्गत पारित सभी अन्तरिम आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाते है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे उन परिस्थितियों से संबंधित है जहां मूल वाद लम्बित थे। जबकि वर्तमान प्रकरण में मूल वाद का अन्तिम निर्णय हो चुका है। इसके विपरीत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर पूर्णतः लागू होती है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि मूल वाद के निस्तारण के पश्चात अन्तरिम आदेश स्वतः समाप्त हो जाते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.2024 के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील प्रस्तुत किये जाने के दस्तावेज दिनांक 23.03.2026 को दोपहर 12 बजे प्रस्तुत किये है। तथापि, मात्र अपील प्रस्तुत कर देने से, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाये, पूर्ववर्ती स्थगन आदेश पुनः प्रभावी नहीं हो जाता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक त्रुटि या हस्तक्षेप योग्य आधार परिलक्षित नहीं होता है।

समग्रतः प्रकरण में यह स्पष्ट है कि मूल वाद के निस्तारण के साथ ही उसका विधिक आधार अवसायित हो चुका है एवं स्थगन आदेश एवं अवमानना प्रकरण स्वतः निष्प्रभावी हो चुके है। लिहाजा रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति दिनांक 17.02.2026 स्वीकार की जाती है एवं प्राथमिक आपत्ति एवं मूल अपील के विधिक आधार समान होने से अपील–अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **23.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली